

सुपरविजन का माध्यम और उत्तरदायित्व समेत निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली पद्धति निम्नवत है:-

- प्रशासन (सामान्य) ➤ स्थापना अनुभाग
- सतर्कता डेस्क ➤ एकीकृत वित्त प्रभाग
- रोकड़ अनुभाग ➤ हिन्दी विभाग
- औद्योगिक विकास विंग ➤ समन्वय अनुभाग
- इस्पात नियंत्रण विंग ➤ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- सूचना एवं सुविधा केन्द्र ➤ तकनीकी विंग
- पुस्तकालय

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

सामान्य प्रशासन अनुभाग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1	वित्तीय मामले/खरीद के संबंध में अनुषंगी खर्च/मरम्मत (आवर्ती)*				* खर्च के सभी मामलों और अन्य वित्तीय मामलों में व्यय करने वाले अधिकारी द्वारा डीएफपीआर/जीएफआर में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना है।
	(क) प्रत्येक मामले में प्रति माह 2000/- तक मूल्य वाली मर्दे	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव		
	(ख) प्रत्येक मामले में प्रति माह 40000/- तक मूल्य वाली मर्दे.	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	
	(ग) प्रत्येक मामले में वार्षिक 40000/- रु0 से अधिक और 2,00,000/- रुपये तक मूल्य की मर्दे	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	संयुक्त सचिव	
2.	व्यय की बड़ी मर्दे (गैर-आवर्ती) (क) प्रत्येक मामले में	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	---- वही ---

	5000/- तक मूल्य वाली मदें.				
	(ख) प्रत्येक मामले में 40000/- तक मूल्य वाली मदें	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	---- वही ---
	(ग) प्रत्येक मामले में 40000/- रू० से अधिक और 2,00,000/- रुपये तक मूल्य की मदें	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	संयुक्त सचिव	---- वही ---
3.	40000/- रुपये तक मनोरंजन के विविध खर्च	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	---- वही ---
	मनोरंजन के विविध खर्च 1,00,000/- रू० प्रति वर्ष (आवर्ती) 1,00,000/-रू० (गैर आवर्ती)	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	संयुक्त सचिव	---- वही ---
4.	40000/- रुपये तक अतिथि सत्कार	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	---- वही ---
	अतिथि सत्कार 1,00,000/- रू० प्रति वर्ष (आवर्ती) 1,00,000/-रू० (गैर आवर्ती)	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	संयुक्त सचिव	---- वही ---
5.	कार्यालय भवन का आबंटन	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	अवर सचिव	-
6.	आवासीय भवन के लिए संपदा कार्यालय को आवेदन पत्र का अग्रेषण	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव		
7.	पहचान पत्र जारी करना i) सरकारी अधिकारी	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	एमएचए द्वारा निर्धारित किए अनुसार
	ii) पीएसयू के कर्मचारी	डीलिंग हैंड	अवर सचिव	संयुक्त सचिव	
	iii) नैमित्तिक कर्मचारियों के लिए पास जारी करना	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी	उप सचिव/निदेशक	
8.	i) सीजीएचएस कार्ड जारी करना	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	
	ii) चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	संयुक्त सचिव	
9.	सीजीएचएस कार्ड में वृद्धि और	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी		

	कमी				
10.	सिविल डिफेंस डिपार्टमेंटल सिव्यूरिटी	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	एमएचए द्वारा निर्धारित किए अनुसार
11.	स्टाफ कार नियंत्रक अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	विभागीय सुरक्षा अधिकारी के अनुसार
12.	एयर टिकटों का आरक्षण/निरस्तीकरण	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव	-	-
13.	दूरभाष बिल.	डीलिंग हैंड	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव*	* आरंभ में दूरभाष बिलों के भुगतान/समाधान को अनुमोदित करने की शक्तियां उप सचिव (सामान्य प्रशासन) के पास होगी। तथापि, बाद में तिमाही आधार पर खर्च का एकीकृत विवरण अनुमोदन हेतु संयुक्त सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

इन सीमाओं से ऊपर व्यय एस एंड एफ की सहमति से किए जाएंगे।

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

स्थापना अनुभाग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	पदों का सृजन और अपग्रेडेशन (समूह "क", 'ख', 'ग', और 'घ')	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव/सचिव/मंत्री	डीओपीटी और वित्त मंत्रालय के अनुदेश जिनका पालन किया जाना है।
2.	समूह 'क' के पदों के लिए भर्ती नियम	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	---- वही ----	---- वही ----	-
3.	समूह 'ख' के पदों के लिए भर्ती नियम	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	---- वही ----	संयुक्त सचिव	-
4.	समूह 'ग' और 'घ' के पदों के लिए भर्ती नियम	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	-
5.	समूह 'क' के पदों की नियुक्ति और	डीलिंग	निदेशक	संयुक्त	-

	स्थायीकरण	हैड/अनुभाग अधिकारी		सचिव/सचिव/ मंत्री	
6.	समूह 'ग' और 'घ' के पदों की नियुक्ति और स्थायीकरण (राजपत्रित और समूह 'ग' के अराजपत्रित पद)	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी	'बी' निदेशक 'सी' अवर सचिव	संयुक्त सचिव/ उप सचिव/निदेशक	-
7.	समूह 'घ' के पदों की नियुक्ति और स्थायीकरण	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	-
8.	समूह 'क' के अधिकारियों के लिए विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	संयुक्त सचिव/सचिव/ मंत्री	-
9.	समूह 'क' के अधिकारियों के लिए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	संयुक्त सचिव	-
10.	समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	संयुक्त सचिव	-
11.	समूह 'ख' (अराजपत्रित) 'ग' और 'घ' के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	-
12.	अनुशासनात्मक मामले/कार्रवाई समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के संबंध में एवं समूह 'ग' और 'घ' के अधिकारियों के संबंध में।	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव/निदेशक *	संयुक्त सचिव/सचिव/ मंत्री *	* अनुशासनिक प्राधिकारी जैसा कि सीसीए रूल्स में प्रावधान है
13	मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में अधिकारियों का स्थानांतरण				
	i) समूह 'क' अधिकारी	डीलिंग हैड	निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव	-
	ii) समूह 'ख' राजपत्रित	---- वही ----	---- वही ----	संयुक्त सचिव	-
	iii) समूह 'ख' अराजपत्रित और समूह 'ग'	---- वही ----	---- वही ----	---- वही ----	-
	iv) समूह 'घ' स्टाफ	---- वही ----	अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	-
14.	त्याग पत्रों की स्वीकृति				-
	i) समूह 'क' अधिकारी	---- वही ----	निदेशक	संयुक्त सचिव/सचिव/ मंत्री	-
	ii) समूह 'ख' अधिकारी	---- वही ----	---- वही ----	संयुक्त सचिव	-
	iii) समूह 'ग'	---- वही ----	अवर सचिव	उप सचिव/निदेशक	-

	iv) समूह 'घ'	---- वही ----	अवर सचिव	---- वही ----	-
15.	नीतिगत मामलों के संबंध में प्रधान मंत्री कार्यालय/डीओपीटी/मंत्रिमंडल सचिवालय से विभिन्न संदर्भ	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव* / सचिव* / मंत्री*	मामले के महत्व के आधार पर
16.	व्यक्तिगत मामलों, जो नीतिगत निर्णय से न जुड़े हों, के संबंध में विविध संदर्भ	---- वही ----	अवर सचिव	संयुक्त सचिव (स्थापना)	-
17.	संसद सदस्य/वीआईपी से प्राप्त संदर्भ	---- वही ----	अवर सचिव	संयुक्त सचिव / सचिव* / मंत्री*	प्राधिकारी जिसे सूचना भेजी गई हो, के आधार पर
18.	उप सचिव और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के बीच कार्य का आबंटन	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	निदेशक	संयुक्त सचिव/सचिव	
19.	अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के स्तर के अधिकारियों के बीच कार्य का आबंटन	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	निदेशक	संयुक्त सचिव (स्थापना)	-
20.	पेंशन दस्तावेज तैयार करना.	---- वही ----	अवर सचिव	-----	-
21.	सेवा पुस्तकों/अभिलेखों का रख-रखाव	---- वही ----	अनुभाग अधिकारी	-----	-
22.	सभी समूह जहां आरक्षण लागू होता है, के कर्मचारियों के संबंध में सेवाओं में आरक्षण	---- वही ----	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव (स्थापना)	-
23.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए संपर्क अधिकारी की रिपोर्ट	---- वही ----	---- वही ----	संयुक्त सचिव/सचिव	-
24.	आकस्मिक अवकाश प्रदान करना	आसन्न वरिष्ठ अधिकारी	आसन्न वरिष्ठ अधिकारी	-----	-
25.	अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश और अन्य प्रकार के नियमित अवकाश प्रदान करने के लिए सिफारिश	आसन्न वरिष्ठ अधिकारी	अगला उच्चाधिकारी	-	-
26.	आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की सूचना i) जिनके लिए छूट की आवश्यकता न हो	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	* संयुक्त सचिव (स्थापना)	* जैसा कि सीसीएस आचरण नियमावली में प्रावधान किया गया है
	ii) जिनके लिए छूट की आवश्यकता हो	-वही-	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव/सचिव/ मंत्री *	---- वही -----
27.	अनुभागों में कार्यों का पुनर्गठन	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव/सचिव	-
28.	जीपीएफ अग्रिम और आहरण प्रदान करना				-
	-जहां छूट का नियम निहित न हो	-वही-	अवर सचिव	--	

	- जहां छूट का नियम निहित हो	-वही-	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव (स्थापना)	-
29.	मोटर कार/स्कूटर/कंप्यूटर के लिए अग्रिम प्रदान करना				-
	-जहां छूट का नियम निहित न हो	-वही-	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव (स्थापना)	-
	- जहां छूट का नियम निहित हो	-वही-	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव (स्थापना)/सचिव	-
30.	टीए/ट्रयौहार/साइकिल/टेबल फैन/एलटीसी आदि के लिए अग्रिम प्रदान करना .	-वही-	अवर सचिव	-	-
31.	वेतन वृद्धि प्रदान करना	डीलिंग हेड	अनुभाग अधिकारी	-	सामान्य मामलों में
32.	भारतीय पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी और सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करना	-वही-	अवर सचिव/निदेशक	-वही-	-
33.	बजट प्रस्ताव/बजट मामले	-वही-	अवर सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव (स्थापना)	-
34.	स्थापना के शेष मामले	-वही-	-वही-	-वही-	-

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

सतर्कता

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमां/डीसीआई एंड एस में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति	अवर सचिव	निदेशक	संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी/सचिव/मंत्री	जैसा कि नियमों के अधीन अपेक्षित है
2.	उन शिकायतों पर निर्णय जिनमें सतर्कता मामला निहित हो	-वही-	-वही-	-वही-	-
3.	शिकायतों पर ऐसे निर्णय लेना कि इसे सीबीआई को सौंपा जाना है अथवा इस पर विभागीय एजेंसी द्वारा जांच की जानी है अथवा आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को भेजा जाना है	-वही-	-वही-	-वही-	-
4.	जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना	-वही-	-वही-	-वही-	-
5.	आयोग की सलाह की आवश्यकता वाले मामलों में सीबीआई की रिपोर्टों पर विभागीय टिप्पणियां	-वही-	-वही-	-वही-	-

6.	विभागीय जांच की रिपोर्टों को सलाह हेतु आयोग के पास भेजना	-वही-	-वही-	-वही-	-
7.	आयोग की सलाह यदि कोई हो, पर पुनर्विचार करना	-वही-	-वही-	-वही-	-

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

एकीकृत वित्त प्रभाग

1. बजट अनुभाग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर		विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1.	2	3	4	5	6	
		(क)	(ख)			
1.	बजट प्रस्तावों की संवीक्षा और अंतिम रूप देना	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	i) सीसीए/एसएस एंड एफए – गैर-योजना बजट के संबंध में ii) ईए/ एसएस एंड एफए – योजना बजट के संबंध में	-
2.	निधि जारी करने के लिए सहमति	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	सीसीए/एसएस एंड एफए	-
3.	निधियां जारी करने के लिए स्वीकृतियों के प्रारूप की विधीक्षा	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	सीसीए	-
4.	अन्य वित्तीय मामले	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	सीसीए/एसएस एंड एफए	-
5.	वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग से संबंधित सभी मामले	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	ईए/ एसएस एंड एफए	-
6.	जेंडर बजटिंग से संबंधित मामला	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	सीसीए/एसएस एंड एफए	

[↑Top of Page](#)

II. वित्त अनुभाग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर		विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
		द्वारा	को			
		(क)	(ख)			-
1.	पदों का सृजन	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/सचिव/ मंत्री	सरकार के निर्देशों/नियमों का पालन किया जाना है
2.	सरकार द्वारा गारंटी	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	-----वही-----
3.	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	निदेशक	---- वही ----
4.	प्रशासनिक/स्थापना व्यय के प्रस्ताव	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	निदेशक	
	(क) वर्दी के प्रावधान जैसे मामले	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	निदेशक	-
	(ख) अधिकतम 1 लाख रुपये तक के खर्च के प्रस्ताव	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	निदेशक	-
	(ग) 1 लाख रुपये से अधिक खर्च के प्रस्ताव	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	-
5.	परियोजना अनुमान/संशोधित अनुमान	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/सचिव/ मंत्री	जैसा कि नियमों/निर्देशों के अधीन अपेक्षित है
6.	संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	----- वही -----
7.	वित्त संबंधी अन्य मामले	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक	निदेशक	-----

[↑Top of Page](#)

III. आंतरिक कार्यअध्ययन यूनिट

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर		विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3		4	5	6
		द्वारा	को			
		(क)	(ख)			
1.	ओ एंड एम निरीक्षण	वित्तीय विश्लेषक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

2.	शेष मामले	वित्तीय विश्लेषक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	-
----	-----------	------------------	--------	--------	--------	---

[↑Top of Page](#)

IV वित्तीय विश्लेषक

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर		विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	
		द्वारा	को			
		(क)	(ख)			
1.	लेखापरीक्षा आपत्तियों/प्रारूप पैरों/सीओपीयू की रिपोर्टों/पीएसी रिपोर्टों पर प्रारूप जवाबों की जांच	वित्तीय विश्लेषक	निदेशक	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	-
2.	मुख्य सूचकांक आदि	वित्तीय विश्लेषक	निदेशक	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	-
3.	अन्य कार्य	वित्तीय विश्लेषक	निदेशक	निदेशक	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	-

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

रोकड़ अनुभाग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	विवादित दावे/मामले	अनुभाग अधिकारी	उप सचिव	सीसीए	-

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

हिंदी कार्यान्वयन अनुभाग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	क्रियान्वयन मामले (हिंदी सलाहकार समिति के मामलों सहित)	डीलिंग हैड/सहायक	अनुभाग अधिकारी	संयुक्त निदेशक(रा.भा) / निदेशक (एसएम)/संयुक्त सचिव(ए)/सचिव/राज्य मंत्री/इस्पात मंत्री	---

हिन्दी अनुवाद अनुभाग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	अनुवाद मामले	अनुवादक	सहायक निदेशक (रा.भा.)	संयुक्त निदेशक(रा.भा.)	---
	(क) मंत्रालय में विभिन्न अनुभागों हेतु सामान्य अनुवाद कार्य	---- वही ----	---- वही ----	-----	-----
	(ख) लेखापरीक्षा पैरा, संसद प्रश्न एवं संसद हेतु नोट्स	---- वही ----	---- वही ----	---- वही ----	----

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

औद्योगिक विकास विंग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	आईएल/एफसी/सीजी/सीओबी/एफआईपीबी/ईपीसीजी संबंधी आवेदन के अनुमोदन अथवा अस्वीकार करने हेतु सिफारिश	डीलिंग हैड या अवर सचिव	संयुक्त औद्योगिक सलाहकार / निदेशक	संयुक्त सचिव	एफआईपीबी मामलों में सचिव/मंत्री का अनुमोदन.
2.	वर्तमान लाईसेंसों की सर्विसिंग नामतः नाम परिवर्तन, पट्टों का विस्तार आदि	---- वही --	---- वही ----	-----	-

3.	एफसी/सीजी/ईपीसीजी का संशोधन	---- वही -- --	---- वही ----	संयुक्त सचिव	-
4.	एलओआई, आयात लाईसेंस की वैधता के विस्तार हेतु आवेदन	---- वही -- --	---- वही ----	संयुक्त सचिव	-
5.	प्रतिबंधित क्षेत्रों में एलओआई के आईएल में रूपांतरण हेतु आवेदन	---- वही -- --	---- वही ----	संयुक्त सचिव	-
6.	बीआईएफआर मामलों आदि पर कार्रवाई	---- वही -- --	---- वही ----	संयुक्त सचिव	-
7.	औद्योगिक लाईसेंसिंग से संबंधित नीति	---- वही -- --	---- वही ----	संयुक्त सचिव / सचिव/ मंत्री	-
8.	औद्योगिक उद्यम जापन से संबंधित सूचना	---- वही -- --	---- वही ----	-----	-
9.	राज्य सरकार के साथ परामर्श करके आईईएमएस की समीक्षा/निगरानी	डीलिंग हेड/ अवर सचिव	संयुक्त औद्योगिक सलाहकार / निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव	-
10.	परियोजनाओं के आयात संबंधी मंजूरीयों के लिए सिफारिश	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
11.	स्पंज आयरन इकाईयां, प्राकृतिक गैस आबंटन के संबंध में लिंकेज हेतु मामलों की कार्यवाही करना तथा लिंकेज समिति की बैठकें	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव	-
12.	क. यातायात के प्रक्षेपण सहित रेल तथा पोतों से संबंधित अवसंरचना का समन्वय ख. निजी क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री (कोयला/कोक/अयस्क आदि) की आवश्यकता का प्रक्षेपण	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
13.	पिग आयरन एवं इस्पात तथा कोक ओवन इकाईयों पर लिंकेज समिति से संबंधित मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव	-
14.	इस्पात संबंधी समूह और राउंड टेबिल के बारे में परियोजना समन्वय से संबंधित मामले	डीलिंग हेड/ अवर सचिव	संयुक्त औद्योगिक सलाहकार / निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव/ मंत्री	-
15.	अंतर्देशीय जल परिवहन एवं तटीय जहाजरानी से संबंधित मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
16.	राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं के साथ परामर्श करके नये लौह/इस्पात संयंत्रों के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी करना	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव	-
17.	टिस्को से संबंधित विविध मामले	---वही --	---वही --	---वही --	-

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

समन्वय

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	इस्पात मंत्रालय के अधीन पीएसयू के मामले में डीपीई आदि द्वारा अपेक्षित आंकड़ों का संग्रह	डीलिंग हैंड	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	-
2.	इस्पात मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट	डीलिंग हैंड/अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव/उप सचिव	संयुक्त सचिव / सचिव	सचिव का अनुमोदन आवश्यक

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

इस्पात नियंत्रण विंग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	इस्पात की अपनी आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभागों/पीएसयू द्वारा अनुरोध	डेस्क अधिकारी	उप सचिव	संयुक्त सचिव	
2.	आपूर्ति आदि हेतु संसद सदस्यों/वीआईपी के जरिए प्राप्त अनुरोध	डेस्क अधिकारी	उप सचिव	संयुक्त सचिव/मंत्री*	* यदि पत्र मंत्री को संबोधित हो।
3.	वार्षिक मांग उपलब्धता प्रक्षेपण	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव	-
4.	सेल के मामले में गुणवत्ता एवं वाणिज्यिक शिकायतों की निगरानी करना	---वही --	---वही --	-	-
5.	वरीय क्षेत्र हेतु आपूर्तियों की निगरानी	---वही --	---वही --	-	-
6.	आपूर्ति आदि हेतु पार्टियों द्वारा अनुरोध	---वही --	---वही --	-	-
7.	आयात-निर्यात नीति तैयार करना	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव	-
8.	सभी शुल्क संशोधन के प्रस्ताव	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव	-

				/मंत्री, जहां आवश्यक हो।	
9.	यदि आयात होता है तो निगरानी करना	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
10.	आयात-निर्यात नीति के स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध	डेस्क अधिकारी	उप सचिव (यदि आवश्यक हो तो तकनीकी विंग से परामर्श करके)	-	-
11.	आयात-निर्यात नीति/कीमत/प्रक्रिया से संबंधित डीजीएफटी, रक्षा जैसे अन्य सरकारी विभागों से प्राप्त संदर्भ	डेस्क अधिकारी	उप सचिव	-	-
12.	लौह एवं इस्पात नियंत्रण (आदेश) + इसके अधीन अधिसूचनाओं में संशोधन	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
13.	ईजीईएएफ, एफएसएफ, एसडीएफ जैसे अनेक जेपीसी निधि से संबंधित मामले	डेस्क आफीसर	उप सचिव	संयुक्त सचिव	-
14.	लौह एवं इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 को लागू करना	---वही --	---वही --	---वही --	-
15.	नए स्टॉक यार्ड/आउट-लेट खोलने के लिए अनुरोध	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / मंत्री *	* यदि आवेदन मंत्री को संबोधित हो।
16.	उत्पादन/कीमत/स्टॉक की निगरानी करना	---वही --	---वही --	-	-

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

सावर्जनिक क्षेत्र उपक्रम

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य कार्यपालकों/निदेशकों, अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति/पदच्युति	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	जैसा कि नियमों/निर्देशों के अनुसार अपेक्षित है।
2.	निदेशक के पदों का सृजन/समाप्ति	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क आफीसर	अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	जैसा कि नियमों/निर्देशों के अनुसार अपेक्षित है।
3.	संस्था के अंतर्नियम का संशोधन	---वही --	---वही --	---वही --	---वही --

	i) निदेशकों की संख्या में वृद्धि/कमी				
	ii) शेयर पूंजी में वृद्धि/कमी	---वही --	---वही --	---वही --	---वही --
4.	अधिनियमों आदि तथा संस्था अंतर्नियमों के संशोधन के संबंध में टिप्पणियां अथवा मत	---वही --	---वही --	---वही --	---वही --
5.	पदधारण में परिवर्तन के मामले में शेयरों का अंतरण	---वही --	उप सचिव/निदेशक	-	-
6.	निदेशकों को शेयरों का आबंटन	---वही --	---वही --	-	-
7.	बैंकों आदि से ऋण हेतु गारंटी पत्र	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव (एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से)	-
8.	बोर्ड स्तर के निदेशक की नियुक्ति की शर्तों को अंतिम रूप देना	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क आफीसर	उप सचिव/निदेशक	-	-
9.	अन्य कंपनियों के बोर्ड में उच्च कार्यपालकों का मनोनयन	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
10.	अन्य कंपनियों के बोर्ड में उच्च कार्यपालकों के अलावा अधिकारियों का मनोनयन	---वही --	---वही --	-	-
11.	एजीएम/बीजीएम के लिए अध्यक्ष के नामिति का मनोनयन	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क आफीसर	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
12.	पीएसयू द्वारा अन्य के सहयोग से नई कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों का सृजन	---वही --	अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा
13.	वार्षिक योजना का प्रावधान	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	---वही --
14.	बजट की तुलना में निधि जारी करना	---वही --	---वही --	-	-
15.	सामान्य नियमों द्वारा कवर होने वाले देशी टैक्नीशियनों के मामले में आयकर छूट	---वही --	उप सचिव/निदेशक	-	-
16.	लेखापरीक्षा पैरे का प्रारूप				
	i) कंपनी से टिप्पणियां प्राप्त करना	---वही --	---वही --	-	-
	ii) उत्तर	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
17.	करार/विदेशी सहयोग, सूचना आपूर्ति	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव	-
18.	ऋण आदि लेने हेतु अनुमति।	डीलिंग हैड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क आफीसर	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव	-

19.	वित्त मंत्री/राष्ट्रपति का बजट भाषण	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव	-
20.	विवादित मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
21.	पीएसयू के औद्योगिक लाईसेंस की वैधता का विस्तार	---वही --	---वही --	-	-
22.	केन्द्रीय पीएसईज के मुख्य कार्यपालकों अंशकालिक निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों का विदेश भ्रमण	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
23.	विदेशी राष्ट्रों के साथ समझौतों से संबंधित नीति मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
24.	समझौतों से संबंधित सामान्य मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
25.	क्रियान्वयन हेतु विस्तार स्कीम/नई स्कीम की स्वीकृति	---वही --	अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
26.	संयुक्त आयोग हेतु ब्रीफ	डीलिंग हेड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	उप सचिव/निदेशक	-	-
27.	सामान्य प्रकृति के प्रशासनिक संदर्भ	---वही --	---वही --	-	-
28.	दिन प्रति दिन की उन समस्याओं में कंपनी को सहायता प्रदान करना जिनके लिए अन्य मंत्रालयों को संदर्भ भेजने की आवश्यकता होती है	---वही --	अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव	-
29.	मुख्य कार्यपालकों/निदेशकों को विदेशों में कार्य मिलना	डीलिंग हेड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	* जैसा कि संबंधित नियमों/निर्देशों में अपेक्षित है
30.	प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य औद्योगिक विवाद	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
31.	संगठनों/कर्मचारियों से प्रतिनिधित्व	---वही --	---वही --	-	-
32.	चल रही परियोजनाओं की निगरानी से संबंधित मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
33.	संसद से संबंधित कार्य	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / मंत्री	-
34.	संविदाओं का अनुमोदन (आयकर अधिनियम की धारा 115 क की शर्तों के अनुसार)	डीलिंग हेड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क आफीसर	अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव *	* जैसा कि संबंधित नियमों/निर्देशों में अपेक्षित है
35.	आवधिक रिपोर्ट : i) केबिनेट के लिए मासिक सारांश	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-

	ii) निष्पादन समीक्षा	---वही --	-	-	
	iii) अन्य रिपोर्टें	---वही --	-	-	
36.	निजी खानों हेतु सम्पदा अधिकारी की नियुक्ति (सेल के मामले में)	डीलिंग हेड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव	-
37.	परामर्शदात्री समिति हेतु कार्यसूची नोट	डीलिंग हेड/अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव	-
38.	वीआईपी संदर्भ	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव*/सचिव/ मंत्री	* उस प्राधिकारी के आधार पर जिसे पत्र भेजा गया था
39.	स्थापना मामलों पर सभी नीति निर्णय	---वही --	निदेशक	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
40.	स्थापना पर अन्य सभी मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव	-
41.	मध्यस्थता मामले	---वही --	---वही --	-	-
42.	सेल/राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन	---वही --	---वही --	-	-
43.	अन्य नीति मामले	---वही --	---वही --	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
44.	सेल द्वारा कोकिंग कोल का आयात	अनुभाग अधिकारी	उप सचिव	संयुक्त सचिव / सचिव	-
45.	सेल को कोयला/विद्युत/वेगनों की आपूर्ति का मामला उठाना	अनुभाग अधिकारी	उप सचिव	संयुक्त सचिव / सचिव	-
46.	सचिव (समन्वय) के साथ अवसंरचना की समस्याएं उठाना	अनुभाग अधिकारी	उप सचिव	संयुक्त सचिव / सचिव	-
47.	मंत्री स्तर पर अनेक मंत्रालयों के साथ अवसंरचना की समस्याएं उठाना	अनुभाग अधिकारी	उप सचिव	संयुक्त सचिव / सचिव / मंत्री	-
48.	एमएमआरडी एक्ट-1957 की अनुसूची-1 में शामिल इस्पात आदान सामग्रियों के लिए पूर्वक्षणी लाईसेंस/खनन पट्टे (पीएल/एमएल) से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना	डीलिंग हेड/अनुभाग अधिकारी	निदेशक	-	-

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

सुविधा केन्द्र

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	लोगों के लिए लौह तथा इस्पात उद्योग से संबंधित सूचनाओं का संकलन एवं प्रावधान	डीलिंग हेड	एआईए/डीआईए	संयुक्त सचिव	-
2.	इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी)	डीलिंग हेड	एआईए/डीआईए	संयुक्त सचिव	-

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

तकनीकी विंग

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण	अनुभाग अधिकारी	अपर औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार/संयुक्त सचिव	-
2.	तकनीकी समिति (एस) पर बीआईएस के साथ पारस्परिक कार्रवाई	--वही --	---वही --	---वही --	-
3.	मानकीकरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक: i) बैठक की तारीख का निर्धारण तथा अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट	---वही -	अपर औद्योगिक सलाहकार/ औद्योगिक सलाहकार	संयुक्त सचिव/सचिव	-
	ii) सामान्य पत्राचार	---वही -	---वही --	---वही --	-
4.	क) पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा निम्न पर तकनीकी टिप्पणियों का प्रावधान :	---वही -	अपर औद्योगिक सलाहकार/ औद्योगिक सलाहकार	संयुक्त सचिव	-
	i) लौह एवं इस्पात उद्योग में तकनीकी समितियां तथा सामान्य पर्यावरणीय मामले	--वही -	अपर औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार /संयुक्त सचिव	-
	ii) एमएफ डेस्क से निर्दिष्ट पोत भंजन से संबंधित मामले		अपर औद्योगिक	औद्योगिक सलाहकार	-

		--वही --	सलाहकार		
5.	अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित कार्य, आर एंड डी कार्य के लिए एसडीएफ से अनुदान/ऋण हेतु आवेदन की कार्यवाही करना, सशक्त समिति की बैठकें, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी और आर एंड डी कार्य से संबंधित मामलों के कार्य की प्रगति की निगरानी करना	--वही --	संयुक्त औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार / संयुक्त सचिव/सचिव	-
6.	ऊर्जा संरक्षण से संबंधित मामले तथा योजना आयोग, विद्युत विभाग आदि के साथ पारस्परिक कार्रवाई	--वही --	अपर औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार / संयुक्त सचिव	-
7.	आयात एवं निर्यात नीति संबंधी स्पष्टीकरण	--वही --	सहायक औद्योगिक सलाहकार /संयुक्त औद्योगिक सलाहकार	---वही --	-
8.	क. इनपुट/आउट-पुट मानकों का निर्धारण, शुल्क मुक्त अग्रिम लाईसेंस स्कीम के तहत मूल्यवर्धन मानक ख. डीईपीबी मानकों का निर्धारण ग. एएलसी, एसएएलसी, डीईपीबी तथा अन्य समितियों में अभ्यावेदन।	--वही --	सहायक औद्योगिक सलाहकार /संयुक्त औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार	-
9.	पीएम ट्राफी से संबंधित कार्य : i) सामान्य मामले	---वही -	अपर औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार / संयुक्त सचिव/सचिव	--
	ii) विशेषज्ञ समिति का गठन, न्यायधीशों का पैनल, स्कीम में संशोधन, पुरस्कार समारोह	---वही -	अपर औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार / संयुक्त सचिव/सचिव/मंत्री	
10.	भारतीय धातु संस्थान से संबंधित मामले : i) सामान्य मामले, एनएमडी पुरस्कारों के लिए नियम एवं विनियम	---वही -	अपर औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार / संयुक्त सचिव	-
	ii) एनएमडी पुरस्कारों का मूल्य एवं संख्या, पुरस्कार समारोह का स्थल, एनएमडी पुरस्कारों के लिए चयन समिति तथा एनएमडी पुरस्कारों हेतु अनुमोदन	---वही -	---वही --	औद्योगिक सलाहकार / संयुक्त सचिव/सचिव	-
11.	इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा अन्य निजी क्षेत्र के उपक्रम जो लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खान एवं खनिजों के खनन संबंधी कार्य करती है, से संबंधित मामलों पर अन्य अनुभागों से तकनीकी टिप्पणियां प्राप्त करना	---वही -	अपर औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार	-
12.	रिफ्रेक्ट्री उद्योग से संबंधित कार्य : i) अन्य अनुभागों से प्राप्त तकनीकी मामले।	---वही -	---वही --	औद्योगिक सलाहकार	-
13.	सीमा एवं उत्पाद शुल्क, शुल्क ड्रा बैक के डेस्क-2 से भेजे	---वही -	---वही --	औद्योगिक सलाहकार	-

	गए संबंधित मुद्दों से संबंधित सभी मामलों पर तकनीकी टिप्पणियां प्राप्त करना।				
--	---	--	--	--	--

[↑Top of Page](#)

मामलों को प्रस्तुत करने का माध्यम और विचार करने/निर्णय लेने का स्तर

पुस्तकालय

क्र.सं.	विषय	प्रस्तुत करने का स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का प्रथम स्तर	विचार करने और निर्णय लेने का दूसरा स्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	वित्तीय मामले/समाचार-पत्रों/मैगजीनों/पुस्तकों पर व्यय				सभी खर्च और अन्य वित्तीय मामलों के संबंध में खर्च करने वाले प्राधिकारियों द्वारा डीएफपीआर/जीएफआर में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा
	(क) प्रत्येक मामले में 40,000/- रुपये प्रति माह तक मूल्य के समाचार पत्र/मैगजीन/पुस्तक	एएलआईओ	उप सचिव/निदेशक		---वही --
	(ख) प्रत्येक मामले में प्रति वर्ष 40000/-रुपये से अधिक और 2,00,000/-रुपये तक मूल्य के समाचार-पत्र/मैगजीन/पुस्तक	एएलआईओ	उप सचिव/निदेशक	संयुक्त सचिव	---वही --

इन सीमाओं से अधिक व्यय के लिए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की सहमति ली जाएगी

- पुस्तकों का चयनजहां तक पुस्तकों के चयन का संबंध है, एक पुस्तकालय समिति का गठन किया गया है जो पुस्तकों का चयन करती है तथा डीएफपीआर/वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार पुस्तकें प्राप्त की जाती हैं

नीतिगत फ्रेमवर्क

महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय : इस्पात मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र को दी जा रही सहायता

लघु उद्योग क्षेत्र को लोहा और इस्पात मर्दों का वितरण : राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005

लोहा अयस्क के लिए निर्यात नीति

अन्य सम्बद्ध नीतियां और मार्ग-निर्देश

- खनिज क्षेत्र में निवेशकों के लिए मार्ग-निर्देश
- औद्योगिक नीति विदेश व्यापार नीति डीईपीबी स्कीम
- संशोधित डीईपीबी दरें विश्व व्यापार संगठन संबंधी मामले
- एंटीडम्पिंग मार्गनिर्देश मानक आदान/उत्पादन मानदंडों में संशोधन
- राष्ट्रीय बिजली नीति राष्ट्रीय पर्यावरण नीति

महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय

- (i) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में, अन्वयों के साथ-साथ, लोहा और इस्पात उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सूची से हटा दिया गया था और उसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनिवार्य लाइसेंसिंग के उपबंधों से भी छूट दी गई थी।
- (ii) 24.5.1992 से, 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी निवेश के लिए ऑटोमेटिक अनुमोदन हेतु लोहा और इस्पात उद्योग को 'उच्च प्राथमिकता' वाले उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। हाल में यह सीमा बढ़ा कर 100 प्रतिशत कर दी गई है।
- (iii) जनवरी, 1992 से इस्पात के मूल्य और वितरण को विनियमनमुक्त कर दिया गया था। इसके साथ-साथ, यह सुनिश्चित किया गया था कि रक्षा और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अलावा लघु उद्योगों, इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यातकों और देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देना जारी रखा जाएगा।
- (iv) व्यापार नीति को उदार बना दिया गया है और लोहे तथा इस्पात के आयात और निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है। आईटीसी (एचएस) संहिता के अध्याय 72 के अधीन कवर की गई लोहे और इस्पात की वस्तुओं के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। आयात को विनियमित करने वाला एकमात्र मेकेनिज्म टैरिफ मेकेनिज्म है। लोहे और इस्पात की विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ में 1991-92 के टैरिफ स्तरों की तुलना में बहुत ही अधिक गिरावट आई है और सरकार इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्याय-72 में दो मर्दें अर्थात् 72042110 तथा 72042910 हैं जो आयात की प्रतिबंधित सूची में आती हैं।
- (v) वर्तमान नीति के अनुसार लोहे और इस्पात का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।
- (vi) लोहे और इस्पात का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।
- (vii) अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अधीन निर्यात करने के लिए कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति है।
- (viii) सेकेंड और त्रुटिपूर्ण सामान का न्यूनतम मूल्य आज तक जारी है।
- (ix) सेकेंड और त्रुटिपूर्ण इस्पात का आयात केवल तीन नामनिर्दिष्ट मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई पत्तनों के माध्यम से करने की अनुमति है।
- (x) सेकेंड और त्रुटिपूर्ण सामान के प्रत्येक आयात परेषण के लिए किसी नामचीन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा अनिवार्य निरीक्षण-पूर्व प्रमाण-पत्र

- (xi) 2007-08 के केन्द्रीय बजट में सेकंड और त्रुटिपूर्ण सामान पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से और कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

मैंगनीज अयस्क

मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिए नीति (विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात-आयात नीति से उद्धृत) निम्नानुसार है:

टैरिफ आइटम एचएस कोड	यूनिट	मद का विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
2602 00 00	किलोग्राम	मैंगनीज अयस्क, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: 46 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज के साथ लम्पी/मिश्रित मैंगनीज अयस्क	एसटीई	मॉयल की खानों में उत्पादित मैंगनीज अयस्क के लिए (क) एमएमटीसी लिमिटेड (ख) मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल) के जरिये निर्यात
2602 00 10	किलोग्राम	46 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज के साथ लम्पी/मिश्रित मैंगनीज अयस्क	प्रतिबंधित	लाइसेंस के अधीन निर्यात की अनुमति है।

स्रोत: विदेश व्यापार नीति, विदेश व्यापार महानिदेशालय

लौह अयस्क के लिए निर्यात नीति

- 64 प्रतिशत लौह तत्व के साथ लौह अयस्क के मुक्त निर्यात की अनुमति है।
- चीन, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान को गोवा मूल के लौह अयस्क (लौह तत्व का ख्याल किए बिना) और सभी बाजारों को रेडी क्षेत्र के लौह अयस्क (लौह तत्व का ख्याल किए बिना) का भी मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है।
- 64 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व वाले लौह अयस्क का निर्यात खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध किया जाता है।
- केआईओसीएल अपने स्वयं के उत्पादों (लौह अयस्क सांद्रण और लौह अयस्क पेलेट्स) के लिए सरणीबद्ध एजेंसी है क्योंकि यह 100 प्रतिशत निर्यातान्मुख इकाई है।
- घरेलू मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ में बैलाडिला से उच्च ग्रेड के लौह अयस्क (64 प्रतिशत से अधिक लौह तत्व) का प्रमुख मात्रा पर लागू प्रतिबंधों के साथ निर्यात करने की अनुमति दी जाती है। लौह अयस्क पर मौजूदा मात्रात्मक सीमा निम्नानुसार है:

क्षेत्र**वार्षिक मात्रा (मिलियन टन)**

(क) बैलडिला लम्प : 3.0 मिलियन टन से कम

(ख) बैलाडिला चूर्ण : 3.8 मिलियन टन से कम

उपर्युक्त के अलावा, उपर्युक्त 64 प्रतिशत से अधिक लोहांश वाले लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति डीजीएफटी द्वारा जारी लाइसेंसों के प्रति भी प्रदान की गई है।

क्रोमाइट अयस्क

क्रोम अयस्क के निर्यात से संबंधित नीति (डीजीएफटी की निर्यात-आयात नीति से उद्धरण) निम्नानुसार है:

टैरिफ आइटम एचएस कोड	यूनिट	मद का विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
2610 00 00	किलोग्राम	क्रोम अयस्क निम्नलिखित को छोड़कर (i)सज्जीकृत क्रोम अयस्क चूर्ण/सांद्रण (अधिकतम 42%Cr2O3 से कम फीड ग्रेड) और (ii) क्रोम अयस्क की वे श्रेणियां जिनके लिए एसटीई के जरिए मंजूरी दी गई है।	प्रतिबंधित	नीचे श्रेणियों (ख) से (घ) को छोड़कर अन्य लाइसेंसों के अंतर्गत निर्यात की मंजूरी
2610 00 30 2610 00 40	किलोग्राम	सज्जीकृत क्रोम अयस्क चूर्ण/सांद्रण (अधिकतम 42%Cr2O3 से कम फीड ग्रेड)	निशुल्क	
2610 00 30	किलोग्राम	40% से कम Cr2O3 वाले क्रोम अयस्क लम्प	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के जरिए निर्यात
2610 00 90	किलोग्राम	52% से कम Cr2O3 और 4% से अधिक सिलिका वाले न्यून सिलिका फ्राइएबल/चूर्ण अयस्क	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के जरिए निर्यात
2610 00 90	किलोग्राम	52-54 प्रतिशत की श्रेणी में Cr2O3 और 4% से अधिक सिलिका वाले न्यून सिलिका फ्राइएबल/चूर्ण क्रोम अयस्क	एसटीई	एमएमटीसी लिमिटेड के जरिए निर्यात

स्रोत: विदेशी व्यापार नीति, डीजीएफटी

इस्पात मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा रही है

लोहा और इस्पात उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए और देश में लोहा और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए इस्पात मंत्रालय ने उनके मामलों को अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाता है जैसे-

(i) लोहा और इस्पात उद्योग को कोयला ब्लॉकों और कोयला लिंकेजों का आबंटन करने के लिए मामला कोयला मंत्रालय के साथ उठाना

- (ii) लोहा और इस्पात उद्योग को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए इस मामले को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाना
- (iii) लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित मामलों/चिंताओं को संबंधित अन्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाना

